

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा
मु.नं. 146 / 2024

रूपलाल बनाम हरि शेट्टी

दावा

दिनांक: 06-9-24

वादपत्र वादी द्वारा जरिये वकील श्री. श्री. दी. कृ. शेट्टी पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वास्ते तलबी दिनांक 14.10.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

दिनांक 14.10.24
आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारें हैं।
पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 20.11.24
को पेश हो।

रीडर

06.11.24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
बाद्री (अस्थित) वादीगण द्वारा प्रावपत्र
पेश करने पर पत्रावली तलब की गई।
प्रावपत्र में अंकित किया है कि प्रकरण में
प्रार्थना के मध्य राजीनामा हो गया है।
इसलिए लोक अदालत की भावना से दावा
विद्वे फागामा जावे। वादीगण की तस्वीक
श्री. श्री. दी. कृ. शेट्टी एडवोकेट ने की।

अतः वादीगण का प्रावपत्र स्वीकार किया
जाता है एवं दावा विद्वे की इजाजत दी जाती है।
पत्रावली फंसल जुमाने होकर जावे से का हो।
क्षोदक फागामा जमा।

Mansingh
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

रूपलाल
शेजय
T. L. By
D. K. K...